

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2406**  
**जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।**

.....

**नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं और उनका पर्यावरणीय प्रभाव**

**2406. श्री बलराम नाइक पोरिका:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा भू-जल की गिरावट का समाधान करने और जल संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं, और
- (ख) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति क्या है और उनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**श्री राज भूषण चौधरी**

**(क):** जल राज्य विषय होने के कारण, अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के आधार पर, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इस संबंध में, भारत सरकार की भूमिका मुख्य रूप से एक प्रेरक की होती है, जो तकनीकी सहायता प्रदान करती है तथा कुछ मामलों में, भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार द्वारा भूजल में गिरावट का समाधान करने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु, जल शक्ति अभियान (जेएसए) और जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) जैसी पहल शुरु की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग की दक्षता को बढ़ावा देने हेतु जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूई) की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है और पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय से जुड़ी जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं विकसित की गई हैं और कार्यान्वयन हेतु इन्हें संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है।

इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से भूजल कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान - 2020 तैयार किया गया है। यह एक बृहद-स्तरीय योजना जिसमें देश भर में विभिन्न भू-भाग परिस्थितियों के आधार पर समुचित पुनर्भरण संरचनाओं रूपरेखा तैयार की जाती है और

इसके अंतर्गत लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का उपयोग करके लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किए जाने की संकल्पना की गई है। इसके अलावा, भूजल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएमएण्डआर) योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा भूजल स्तर के कायाकल्प के उद्देश्य से कई सफल पथ-दर्शक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का भी कार्यान्वयन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) में, अन्य बातों के साथ-साथ, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

**(ख):** देश भर में जल-अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण हेतु भारत सरकार द्वारा 1980 में तैयार की गई राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना (एनपीपी) अंतर्गत, 30 नदी लिंक (आईएलआर) परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें 16 परियोजनाएं प्रायद्वीपीय घटक और 14 परियोजनाएं हिमालयी घटक के अंतर्गत शामिल हैं। इन आईएलआर परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी को **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आईएलआर परियोजना के संबंध में, व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) तैयार करने के दौरान एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन भी किया जाता है। इस ईआईए अध्ययन का उद्देश्य भौतिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण पर परियोजना से पडने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान करना है। मिट्टी के प्रकार, जलवायु के प्रकार, भूजल गुणवत्ता, जैविक पर्यावरण, वनस्पति विविधता, वन और वन्यजीव, भूजल पुनर्भरण, नदी के जलविज्ञान व्यवस्था में परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू, रोजगार सृजन की संभावनाएं, परियोजना से प्रभावित परिवार, जलमग्न क्षेत्र आदि और आकलित प्रभावों को कम करने हेतु डीपीआरएस और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के समय अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।

\*\*\*\*\*

"नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं और उनका पर्यावरणीय प्रभाव" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2406 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्रा) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूर्ण
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण

8	क) पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुदुचेरी	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुदुचेरी	डीपीआर पूर्ण
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिल नाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत रूप से एकीकृत)	एमपी और राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक**	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

\* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को डायवर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमसिला) और पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

\*\* कर्नाटक सरकार द्वारा येट्टिनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, आगे और अध्ययन नहीं किए गए हैं, इस लिंक के माध्यम से डायवर्जन के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।

@@ बेदती-वरदा लिंक - पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार की गई, कोई एफआर तैयार नहीं की गई थी।

### हिमालयन घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य/देश	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा पीएफआर पूर्ण
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	मसौदा पीएफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) और बिहार	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण

\*\*\*\*\*